

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 05.10.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग के अपहरण के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी अभियुक्त को कुल 06 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10 हजार अर्थदण्ड की सजा

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर नाबालिग के अपहरण के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना परशुरामपुरी पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 08 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एसजे-43, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त राकेश पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम सिनौडा थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर को दोषसिद्ध पाते हुए 06 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शाहजहाँपुर पुलिस की निरन्तर पैरवी से नाबालिग को मिला न्याय

दिनांक 31.07.2016 को वादी द्वारा थाना परशुरामपुरी में लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 15 वर्ष) का साइकिल से सब्जी खरीदने जाते वक्त राकेश पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम सिनौडा थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपहरण कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना परशुरामपुरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर विवेचक निरीक्षक श्री इशितयाक हुसैन द्वारा अभियुक्त राकेश उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-43, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त राकेश उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 06 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

राकेश पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम सिनौडा थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 696/2016, धारा 363/366 भादवि, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर। प्रकरण में अभियुक्त राकेश उपरोक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को अपहरण कर ले जाने का आरोप था। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश पुत्र वीरपाल को 06 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।